आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
१	२	३
11.09.24.	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष, एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम द्वितीय पक्ष द्वारा निबंधित केवाला एवं मुद्दी पत्र पंजी II की प्रति समर्पित किया गया है. जो अभिलेख में संलग्न है प्रथम पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि दाखिल खारीज गलत ढंग से किया गया है, प्रथम पक्ष इन्दु देवी पति मनोज साव श्राप केन्द्र से केवाला एवं राजस्व कागजात की मांग की गई, प्रथम पक्ष इन्दु देवी द्वारा 15 पन्द्रह दिन का समय लिया गया, मांगें गए समय इन्दु देवी को दिया जाय। अभिलेख दिनांक 25/09/24 को रखें। ह० 11/09/24 अंचल अधिकारी, सिमरिया।	
25/09/24	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष इन्दु देवी द्वारा मांगें गए समय के अनुसार द्वितीय पक्ष उपस्थित है एवं प्रथम पक्ष अनुपस्थित है प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहने के कारन पुन! प्रथम पक्ष के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 07/10/24 को उपस्थापित करें। ह० 25/09/24 अंचल अधिकारी, सिमरिया।	
07-10-24	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त प्रथम पक्ष इन्दु देवी पति मनोज साव उपस्थित द्वितीय पक्ष सुनिता देवी पति उमेश मुद्दमा उपस्थित है, प्रथम पक्ष द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है. पुन: कागजात की मांग करें एवं नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 11.11.24 को रखें। ह० 7/10/24 अंचल अधिकारी सिमरिया	

Scanned by CamScanner

01/11/24- अभिलेख उपस्थापित।- नोटिस तामिला प्राप्त, अभिलेख में संलग्न है। प्रथम पक्ष इंदु देवी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित, प्रथम पक्ष द्वारा क्रय किये गये केवाला संख्या- 1089- जो गया सिंह पिता स्व० सुदेश्वर सिंह साकिन मौजा पद्मपुर थाना कसियाडीह से क्रय किया गया है. केवाला दाखिल किया गया जिसका खाता सं०- 96- प्लॉट सं०- 648 रकबा- 0.05 डी० है। उसके अलावा किसी प्रकार का अन्य राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभिलेख को आदेश पर रखें।

ह० 1/11/24
अंचल अधिकारी,
सिमरिया।

14.11.24 अभिलेख उपस्थापित। वाद कि सुनवाई के दौरान संबंधित राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा केन्दु थाना नं०- 110 के अन्तर्गत खाता सं०.96 प्लॉट सं०. 648 रकबा- 0.05 डी०. भूमि प्रथम पक्ष इन्दु देवी पति मनोज साव ग्राम केन्दु के द्वारा विक्रेता गया सिंह से खरीद की है. विक्रेता के पूर्वज एवं विक्रेता के नाम से उक्त भूमि की जमाबंदी कायम नहीं है, साथ ही विक्रेता की पत्नी कौशल्या देवी को मानी साव जानकी कुंवरी से एक दान पत्र मिला है. उनमें भी खाता 96 प्लॉट सं०- 648 का जिक्र नहीं है. अतः विक्रेता द्वारा गलत केवाला कर दिया गया है।

द्वितीय पक्ष:- क्रेता श्रीमती सुनिता कुमारी पति श्री उत्तम कुमार ने खाता सं० 98 प्लॉट सं०- 648 रकबा- 0.11 ए० मध्ये रकबा- 0.06 1/2 ए० भूमि विक्रेता मदन मोहन सिंह वगैरह से खरीद की गई है. जिसका दा० खा० वाद सं०- 348/-2024-25. है. विक्रेता मदन मोहन सिंह के पिता मुखो सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है। कायम जमाबंदी से द्वितीय पक्ष का जमाबंदी दाखिल खारिज किया गया। एवं दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है। प्रथम पक्ष इंदु देवी द्वारा क्रय किये गये केवाला में विक्रेता गया सिंह के खाता- 96 प्लॉट सं०. 648 का जमाबंदी पूर्व से कायम नहीं है. इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष इंदु देवी पति- मनोज साव साकिन केन्दु का दावा गलत प्रतीत होता है।

P.T.O

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्रक–ता0.................................से.................................तक जिला.................................सं0...............सन्

केश का प्रकार...

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर द गई कार्रवाई बारे में टिप्पा तारीख–सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष इन्दु देवी पति मनोज साव साकिन केन्दु का दावा को खारीज किया जाता है। प्रथम पक्ष आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं, अभिलेख की कार्रवाई बन्द किया जाता है। 14/11/24 अंचल अधिकारी, सिमरिया। लेखापित एवं संशोधित, 14/11/24 अंचल अधिकारी, सिमरिया।	

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2025.01.03 19:30:10 +05:30
Location: 192.168.98.52

Scanned by CamScanner